

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाहा मय शपथपत्र

16/2/26

समयपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वादपत्र/प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

H

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 44/2026

तेजस ज्याणी पुत्र श्री धर्मेन्द्र ज्याणी जाति जाट निवासी के.17 इंकम टैक्स कलोनी टोंक रोड़ जयपुर हाल आबाद चौटाला रोड़ डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)

-वादी

बनाम्

1. जगत सिंह पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट निवासी के.17 इंकम टैक्स कलोनी टोंक रोड़ जयपुर(राज.)
2. धर्मेन्द्र ज्याणी पुत्र श्री जगत सिंह जाति जाट निवासी चौटाला रोड़ डबवाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरि.)
3. भुपेन्द्र ज्याणी पुत्र श्री जगत सिंह जाति जाट निवासी के.17 इंकम टैक्स कलोनी टोंक रोड़ जयपुर(राज.)
4. जितेन्द्र ज्याणी पुत्र श्री जगत सिंह जाति जाट निवासी के.17 इंकम टैक्स कलोनी टोंक रोड़ जयपुर(राज.)
5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)।

-प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट
प्रतिवादी सं. 1ता4 की ओर से :- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1ता4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि चक 4 एन.के.आर. बी के खाता सं. 29/4 खाता कमला बैनिवाल वगैरा जमाबन्दी सम्बत् 2072-2075(जमाबन्दी 207च8) में प्रतिवादी सं. 1 जगत सिंह पुत्र श्री कृपाराम के नाम दर्ज आराजी का वादी खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी में प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। अतः इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम अमलदरामद किया जाकर उक्त चक के उक्त खाता में से प्रतिवादी सं. 1 जगत सिंह पुत्र श्री कृपाराम का नाम कलमजन किया जावे।

निज/..... निल/..... मुब्लिक/.....निल/..... बाबत्
.....निल...../..... खर्चा मुकदमें के मयथुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक/.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 19.2.2024 को जारी किया जाता है।

(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया